

रिहायशी प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए पात्रता :-

1. प्रार्थी हरियाणा राज्य का जन्म से स्थाई निवासी हो।
2. प्रार्थी हरियाणा राज्य का कम से कम 15 साल का स्थाई निवासी हो।
3. सरकारी कर्मचारी केन्द्र सरकार / हरियाणा सरकार के अपने अधिनस्थ अधिकारी से रिपोर्ट करवा कर भी बनवा सकता है।

रिहायशी प्रमाण-पत्र बनवाने बारे (गांव से सम्बन्धित)

श्री मान जी,

- प्रथम चरण:-** प्रार्थी सबसे पहले प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु प्रार्थना पत्र / प्रमाण पत्र रिहायशी का प्रोफार्मा तथा दो रूपये की कोर्ट फीस आवेदन पत्र पर लगायेगा। (See Annexure-A)
- द्वितीय चरण:-** प्रार्थी (3.00) तीन रूपये 00 पैसे का शपथ - पत्र खरीद कर उस पर निर्धारित तथ्य (शपथ पत्र का प्रोफार्मा संलग्न है) टाईप करवा कर शपथ पत्र को नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवायेगा। ( See Annexure-B)
- तृतीय चरण:-** प्रार्थी इन कागजात के साथ अपना राशन कार्ड / पहचान पत्र वोट तथा हरियाणा शिक्षा का मैट्रिक का आदि प्रमाण पत्र साथ ले कर पटवारी के पास रिपोर्ट करवाने हेतु जायेगा। (See Annexure-C)
- चतुर्थ चरण:-** पटवारी से रिपोर्ट करवायेगा (पटवारी की रिपोर्ट कापी साथ संलग्न है) (See Annexure-C)
- पांचवा चरण:-** तहसीलदार से रिपोर्ट करवायेगा(तहसीलदार की रिपोर्ट कापी संलग्न है) (See Annexure-D)
- छटा चरण:-** प्रार्थी उपायुक्त कार्यालय के जिलाधीश अधिकारी / उपमण्डल अधिकारी (ना) के कार्यालय में उपस्थित हो कर कागज प्रस्तुत करेगा।
- सातवां चरण:-** सम्बन्धित कर्मचारी उपरोक्त प्रस्तुत किये गये कागजों का अवलोकन करके ( ठीक हैं तो) उनको सम्बन्धित रजिस्ट्र में इन्द्रराज करके न. लगाकर व अधिकारी की शील लगाकर सम्बन्धित अधिकारी के सम्मुख हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करेगा (राशन कार्ड की कोपी पहचान पत्र की मैट्रिक प्रमाण-पत्र कापी )
- आठवां चरण:-** सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर होने के उपरान्त प्रार्थी को प्रमाण-पत्र की कापी दे देगा।

Annexure-A

सेवा में,

श्रीमान् एस. डी. ओ.(सी) । नगराधीश  
सोनीपत ।

Subject :- दरखास्त बराये कराने दिलवाये जाने रिहायशी सर्टीफिकेट

श्रीमान् जी,

प्रार्थी निम्नलिखित हर्बे जेल अर्ज करता है ।

1. यह कि प्रार्थी गांव----- तहसील व जिला ----- का रहने वाला हैं । और हरियाणा का निवासी हैं ।
2. यह कि प्रार्थी को अपने रिहायशी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता हैं ।
3. यह कि प्रार्थी भारत का नागरिक हैं ।
4. अतः आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थी को उसका रिहायशी प्रमाण-पत्र प्रदान करने का कष्ट करें । आपकी अति कृपा होगी ।

धन्यवाद !

दिनांक -----

प्रार्थी

-----  
-----  
-----

**ANNEXURE-B**

**AFFIDAVIT**

I, \_\_\_\_\_  
S/O \_\_\_\_\_  
Vill \_\_\_\_\_ Teh. &  
Distt. \_\_\_\_\_

do hereby solemnly affirm and declare as under: -

1. That I am permanent residence of above address.
2. That I am citizen of India.
3. That I want to take residence certificate from Haryana state.
4. That I need the residence certificate.
5. That I of my family member has not obtained the benefit of Residence Certificate from any other State except Haryana.

Deponent

Date: \_\_\_\_\_

Verification: -

Verified that the above statement is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been cancelled therein.

Deponent

Date: -

Place: -

(Annexure-C)

तस्दीक पटवारी

श्रीमान् जी,

प्रमाणित किया जाता है कि -----  
----- जिला व तह.सोनीपत का जन्म से स्थाई निवासी है प्रार्थी का नाम राशन  
कार्ड न. \_\_\_\_\_ के शुमार न. \_\_\_\_\_ पर दर्ज है ।  
प्रार्थी का वोट कार्ड न0 \_\_\_\_\_ व मकान न. \_\_\_\_\_ रिपोर्ट  
सेवा में पेश हैं ।

Annexure - D

बाद रिपोर्ट पटवारी प्रार्थी -----  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ----- ग्राम ----- का/की जन्म से स्थाई  
निवासी हैं । जाति ----- से सम्बन्ध रखता/रखती हैं ।  
राशन कार्ड न.----- में शुमार न.----- दर्ज है ।

तहसीलदार,

**HARYANA RESIDENCE CERTIFICATE**

As verified by the ..... it is a  
certified that.....S/o  
Sh.....is a residence  
of.....

.....  
Teh. ....

Distt.....

by birth in Haryana state as patwari report under clause VII  
of the of chief secretary & Govt. of Haryana vide Letter  
No.62/17/96-6891 GSI Dated 3-10-96.

S.D.O.(C)

No. ....

Place .....

Dated .....